न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 008/2017

1 दरबारासिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू हाल भड़ोलियावाली तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा) (मृतक)
- 1.1 मनवीरकौर पत्नि दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी भड़ोलियावाली तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)
- 1.2 हरदीपसिंह पुत्र दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी भड़ोलियावाली तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)
- 1.3 मनजीतसिंह पुत्र दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी भड़ोलियावाली तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 मक्खनसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
2 जसविन्द्र कौर पत्नी मक्खनसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3 रघुवीरसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4 जगवीरकौर पुत्री मक्खनसिंह पत्नि बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5 जसवीरकौर पुत्री मक्खनसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6 राजवीरकौर पुत्री मक्खनसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए, 183, 188 आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवम् बेदखली

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जरनैलसिह टुरना अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.01.2019

वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 183, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में दिनांक 02.12.1999 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार कि वादी की भूमि चक 10 क्यू. के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1/1 में 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण को काश्त करवानें हेतु दी गई थी, जो भूमि का ठेका वादी को देता रहा है लेकिन अब उन्होनें वादी को हिस्सा व ठेका देना बन्द कर दिया है तथा विवादग्रस्त भूमि में मिट्टी छालकर उसका लेबल उंचा करनें की फिराक में है और इस भूमि में नाजायज तरिका से निर्माण करनें की फिराक में है क्योंकि यह भूमि आबादी के साथ चिपती हुई भूमि है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी में मिट्टी डालकर उंचा कर दिया या उसमें भवन निर्माण आदि कर लिये गये तो वादी को ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा और भूमि में पानी नहीं लगनें से इसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जावेगी।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण नें वादी के बुढ़ापे व बिमार रहनें का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया है जिनका कब्जा बतौर अतिक्रमी के है, जिन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर वर्ष 1988 से अतिक्रमण कर रखा है, चक 10 क्यू. में 3000/– रूपये प्रति बीघा प्रति साल का ठेका है, अतः वादी प्रतिवादीगण से इस कदर से मिन प्रोफिट पानें का अधिकारी है।

यदि उक्त भूमि पर तहसीलदार राजस्व गंगानगर को रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर गैर कानूनी तरीका से रेत डालकर भूमि का लेबल उंचा कर देगा वे इस पर तामिर करनें की फिराक में है, यदि प्रतिवादीगण इसमें सफल हो गये तो मुकद्में बाजी में वृद्धि होगी और वादी को नुकसान होगा तथा अपनी खातेदारी भूमि से मेहरूम हो जावेगा। वादी का प्रथम दृष्टया सबल मामला बनता है व सुविधा के पक्ष में भी वादी के हक में है वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। जब तक रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाता है, उस समय तक प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवाग्रस्त आराजी पर किसर प्रकार का निर्माण नहीं करें तथा भूमि में मिट्टी आदि नहीं डाले तथा मौका की स्थिति बनाये रखें वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी बनता है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बार बार आराजी का कब्जा छोड़ देनें के लिये कहा गया लेकिन वे टाल मटोल करते रहे है दिनांक 07.09.199 को इससे साफ इन्कार हो गये है जो यदि बिनाय दावा व बिनाये मुखास्मत है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है, कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) कि आराजी चक 10 क्यू. के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1/1 के 10 बिस्वा पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जावे व कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण ता फैसला उक्त आराजी में किसी भी प्रकार से तामीर करनें से बाज व ममनू रहे।

(ग) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे, व अन्य अनुतोष प्रदान किया जावे।

(घ) कि वादी को प्रतिवादीगण से मिन प्रोफिट दिलाया जावे।

वाद वादी 003/2000 नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा दिनांक 13.05.2002 को जबाब दावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम का वादी द्वारा जबाबुल जबाब पेश किये जानें पर पत्रावली में तनकियात कायम की गई। प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण होनें पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.04.2007 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 जाब्ता दिवानी पेश किया गया। इस प्रार्थना पत्र का जबाब वादी द्वारा दिये जानें पर दिनांक 23.07.2007 को बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2 जाब्ता दिवानी को खारिज कर दिया गया।

दिनांक 23.07.2007 के आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए. संख्या 8449/2007 प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2017 को निर्णय पारित करते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2007 को यथावत रखते हुए निगरानी खारिज की दी गई

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होनें पर पुनः नये नम्बर 8/2017 पर दर्ज किया गया प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होनें पर उनके वारियान को रिकार्ड पर लिया गया।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें के कारण दिनांक 16.01.2009 को उभयपक्ष उपस्थित हुए राजीनामा पेश किया गया राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का रोबरू पंचायत नें राजीनामा कर लिया है राजीनामा की रूह से चक 10 क्यू. के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 में 10 बिस्वा भूमि माननीय न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था जो भी राशी जमा होती रही रिसीवर शुद्धा राशी प्रथम पक्ष पानें का अधिकारी है जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिये इसी राजीनामा की रूह से पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

उक्त राजीनामा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया जिस पर पक्षकारान द्वारा सहमती जारी करनें पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता श्री जैरनैलसिंह टुरना व प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री दिनेश छाकड़ा द्वारा किये जानें पर राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा के साथ ही उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा कथन किया गया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ है जिसे न्यायहीत में स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर पत्रावली में निर्णय पारित करनें का आदेश प्रदान करें ताकि पक्षकारान के मध्य लोक अदादल की भावना कायम हो सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रकरण अत्यधिक पुराना है तथा अब वर्तमान में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा भी हो चुका है पक्षकारान द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पर सहमति जताई गई है। अतः न्यायहीत में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2005 के द्वारा उक्त विवादित आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत चक 10 क्यू. के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1/1 का 10 बिस्वा भूमि को रिसीवर मुक्त किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के राजीनामा के अनुसार रिसीवर शुद्धा भूमि की जमा राशि वादीगण मनवीरकौर पत्नि दरबारासिंह, हरदीपसिंह पुत्र दरबारासिंह तथा मनजीतसिंह पुत्र दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी भड़ोलियावाली तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा) को नियमानुसार लौटाई जावे।

आदेश आज दिंनाक 16.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)